

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07052024-254062 CG-DL-W-07052024-254062

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, अप्रैल 28,—मई 4, 2024, शनिवार/ वैशाख 8—वैशाख 14, 1946 No. 16] NEW DELHI, APRIL 28,—MAY 4, 2024, SATURDAY/VAISAKHA 8—VAISAKHA 14, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

सा.का.िन. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, निरीक्षक (बैंड) भर्ती नियम 1985, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में निरीक्षक (बैंड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, निरीक्षक (बैंड), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम । | पद की संख्या । | वर्गीकरण । | वेतन मैट्रिक्स में स्तर । | चयन अथवा अचयन पद। |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| निरीक्षक (बैंड) । | 1* (2024) | साधारण केंद्रीय सेवा, | वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 | लागू नहीं होता। |
| N N | * कार्यभार के आधार | समूह 'ख', | (35400-112400/ - रुपये) । | |
| | पर परिवर्तन किया | अराजपत्रित , | | |
| | जा सकता है । | अननुसचिवीय । | | |
| | | | | |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। |
|--|-----------------|--|---|--|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष । | प्रतिनियुक्ति द्वारा या |
| | | | | प्रोन्नति द्वारा । |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी जिसके अंतर्गत केंद्रीय पुलिस संगठन या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस संगठन भी हैं ;

- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- (iii) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों,
- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं;
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बैंड वाद्ययंत्र में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो;
- (ग) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या केंद्रीय पुलिस संगठनों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या पुलिस संगठनों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बैंड वाद्य यंत्र के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1- विभागीय उप-निरीक्षक (बैंड) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) में ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हैं, पर भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाता है। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|--|
| (12) | (13) |
| समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है। |
| 1. निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; | , |
| 2. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य ; और | |
| सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी - सदस्य। | |

[फा. सं. 23011/66/2018-पीटी] डी. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th April, 2024

- G.S.R. 49.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhai Patel National Police Academy, Inspector (Band) Recruitment Rules, 1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Band) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy under the Ministry of Home Affairs, namely: -
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Inspector (Band), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post. | Number of post. | Classification. | Level in pay matrix. | Whether selection post or non-selection post. |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Inspector | 1* (2024) *Subject | General Central | Level- 6 (Rs. 35400-112400 | Not applicable. |
| (Band). | to variation depen- | Service, Group 'B', | in the pay matrix). | |
| | dent on workload. | Non-Gazetted, Non- | | |
| | | Ministerial. | 5 | |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruit- ment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various meth- ods. |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|---|
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Two years. | By deputation or by promotion. |

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)

Deputation or Promotion:

Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations including Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or State Police Organisations,-

- (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years of regular service in posts in the level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department;
- (iii) possessing the following educational qualifications and experience,-
 - (a) matriculation from a recognised Board or institute;
 - (b) successfully completed training in the Band Instrument from a recognised training institute;
 - (c) five years' experience as Band Instrument in the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Police Organisations or recognised institutions.
- Note 1.- The Departmental Sub-Inspector (Band) in level- 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having filled by promotion.
- **Note 2.-** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
- Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|--|
| (12) | (13) |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; (2) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; and | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |
| (3) Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member. | |

[F. No. 23011/66/2018-PT] D K GHOSH, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रपलय, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर, समूह रा' पद भर्ती नियम, 2018 को जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-1 के पद